भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 118

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में गिग श्रमिकों का वर्गीकरण

118. **डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को अलग-अलग वर्गीकृत करने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) को अद्यतन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग कार्य के बढ़ते पैमाने और मान्यता के बावजूद इसे एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का गिग कार्य की अनूठी विशेषताओं जैसे कार्य प्रकृति के आधार पर नियोजन, मल्टी-एप, उपयोग और एल्गोरिथम आधारित कार्यविधि को शामिल करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण मॉड्यूल शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): प्रथम बार, 'गिग कामगार 'और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

उक्त संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान करती है।

नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में किए गए अनुमान के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगार की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

जारी-2/-

वर्ष 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनओसी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) देश में श्रम बल, जनसंख्या की गतिविधि संबंधी भागीदारी और रोजगार की संरचना और बेरोजगारी के संबंध में सांख्यिकी का प्राथमिक स्रोत रहा है।

पीएलएफएस में एकत्रित सूचना के आधार पर, पीएलएफएस प्रकाशनों के माध्यम से श्रम बल संकेतकों जैसे श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), बेरोजगारी दर (यूआर), रोजगार में स्थिति वार (स्व-नियोजित, नियमित मजदूरी/वेतनभोगी, आकस्मिक श्रमिक), उद्योग वार (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) के अनुसार) और कार्य के व्यवसाय (व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनसीओ)) आदि के आधार पर कामगारों के विभाजन को प्रकाशित किया जाता है।

गिग कामगारों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों की विशेष रूप से पहचान करने के उद्देश्य से पीएलएफएस अनुसूची में ऐसा किसी प्रकार का अद्यतनीकरण नहीं किया गया है। तथापि, सभी बाजार संबंधी गतिविधियों अर्थात् वेतन या लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधियां जिसके परिणामस्वरूप विनिमय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, पीएलएफएस में आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में शामिल हैं। एक निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधि में लगे हुए या कार्यरत व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति पीएलएफएस में रोजगार से जुड़ी होती है। इसलिए, यहां तक कि वेतन और लाभ के लिए 'गिग कामगारों के रूप में लगे हुए व्यक्ति भी पीएलएफएस में शामिल हैं।

पीएलएफएस में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में यथा परिभाषित गिग कामगार की अलग से पहचान करने की व्यवहार्यता वर्तमान में एनएसओ, एमओएसपीआई के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

******